समाज कल्याण विभाग

(आई.सी.डी.एस. निदेशालय)

पत्रांक :– ICDS/40010/02-2016/ 2222 दिनांक : 25/05/2018

प्रेषक,

प्रधान सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।

विषय:- ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन हेतु मार्गदर्शिका 2016 में संशोधन/नये प्रावधान के संबंध में।

महाशय,

सरकार द्वारा ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन हेतु मार्गदर्शिका 2016 बिहार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है। सेविका/सहायिका के काफी पदों के रिक्त रहने के कारण ऑगनबाड़ी केन्द्रों के क्रियाशील करने में हो रहे बिलम्ब तथा विभिन्न जिलों से मॉगे जा रहे मार्गदर्शन एवं माननीय उच्च न्यायालय/लोकायुक्त बिहार द्वारा पारित आदेश को दृष्टिगत रखते हुये सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत इस मार्गदर्शिका के निम्नलिखित कंडिकाओं में संशोधन/नये प्रावधान किये जाते है।

कंडिका	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
4	शैक्षणिक योग्यता- ऑगनबाड़ी सेविका के चयन हेतु शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक अथवा समकक्ष (अतिरिक्त विषयों को छोड़कर) (जिसे मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा पंचायत शिक्षक नियोजन हेतु मान्यता दी गयी हो) उत्तीर्ण होगी। अधिक योग्यता के लिए कोई प्राथमिकता नहीं दी जायगी।	शैक्षणिक योग्यता- ऑगनबाड़ी सेविका के चयन हेतु शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक अथवा समकक्ष (अतिरिक्त विषयों को छोड़कर) (जिसे मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा पंचायत शिक्षक नियोजन हेतु मान्यता दी गयी हो) उत्तीर्ण होगी। अधिक योग्यता के लिए कोई प्राथमिकता नहीं दी जायगी। कोई भी आवेदिका यदि साक्ष्य स्वरूप प्रमाण पत्र आदि की छायाप्रति देती है तो वह स्वअभिप्रमाणित होनी चाहिये।
5	मतदाता एवं निवासी होने की योग्यता- ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका के अभ्यर्थी को मैपिंग पंजी के अनुरूप संबंधित वार्ड का निवासी एवं मतदाता होना अनिवार्य होगा अथवा आवेदिका के पति/श्वसुर का नाम संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में अंकित होना अनिवार्य होगा।	मतदाता एवं निवासी होने की योग्यता- ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका के अभ्यर्थी को मैपिंग पंजी के अनुरूप संबंधित वार्ड का निवासी एवं मतदाता होना अनिवार्य होगा अथवा आवेदिका के पति/श्वसुर का नाम संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में अंकित होना अनिवार्य होगा। यदि आवेदिका का घर भौतिक रूप से रिक्ति वाले वार्ड में है और वह वहॉ रह रही है, लेकिन उनका नाम अंतिम पंचायत चुनाव मतदाता सूची में यदि किसी कारण छुट गया है तो उनका या उनके पति या श्वसुर का नाम अंतिम पंचायत चुनाव के ठीक पूर्ववर्ती पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची में अवश्य अंकित होना चाहिए।
8	आवेदन पत्रों की प्राप्ति- आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका का पद किसी कारण से रिक्त होने पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के द्वारा रिक्तियों को भरने के लिए राज्य के दो प्रमुख हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन तथा सार्वजनिक स्थलों पर प्रकाशन उचित माध्यम से कराया जायेगा जिसमें आवेदन प्राप्त करने हेतु 15 दिनों का समय दिया जायेगा। आँगनवाड़ी सेविका/सहायिका के चयन की अर्हताओं एवं वार्ड की आम सभा के स्थान/तिथि/समय का इसमें	आवेदन पत्रों की प्राप्ति- आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका का पद किसी कारण से रिक्त होने पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के द्वारा रिक्तियों को भरने के लिए राज्य के दो प्रमुख हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन तथा सार्वजनिक स्थलों पर प्रकाशन उचित माध्यम से कराया जायेगा जिसमें आवेदन प्राप्त करने हेतु 15 दिनों का समय दिया जायेगा। आँगनवाड़ी सेविका/सहायिका के चयन की अर्हताओं एवं वार्ड की आम सभा के स्थान/तिथि/समय का इसमें उल्लेख रहेगा। विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किए जाएगें जिसका प्रपत्र संलग्न किया जा

	उल्लेख रहेगा। विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किए जाएगें जिसका प्रपत्र संलग्न किया जा रहा है (परिशिष्ट-1)। साथ ही यदि किसी कारणवश उक्त निर्धारित तिथि को चयन नहीं हो पाता है तो अगले सप्ताह के उसीदिन तिथि (अवकाश की स्थिति में अगले कार्य दिवस) व समय को वार्ड की आम सभा की बैठक निर्धारित होगी और उक्त बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।	रहा है (परिशिष्ट-1)। साथ ही यदि किसी कारणवश उक्त निर्धारित तिथि को चयन नहीं हो पाता है तो अगले सप्ताह के उसीदिन तिथि (अवकाश की स्थिति में अगले कार्य दिवस) व समय को वार्ड की आम सभा की बैठक निर्धारित होगी और उक्त बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। सेविका/सहायिका चयन हेतु यदि चयनसमिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के द्वारा पदासीन रहने के बावजूद आम सभा की पहली तिथि अथवा दूसरी तिथि को बैठक नहीं की जाती है अथवा चयन समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का पद रिक्त है अथवा आम सभा का दो बार आयोजन होने के बाद किसी कारण से यदि चयन कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है तो ऐसी परिस्थिति में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा एक विशेष आम सभा की तिथि निर्धारित की जायेगी, जिसकी अध्यक्षता अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा स्वयं अथवा भूमि सुधार उपसमाहर्ता के द्वारा की जायेगी। संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी इस विशेष आम सभा के लिए उपाध्यक्ष एवं महिला पर्यवेक्षिका सदस्य सचिव होगी।
8 (अ)	नया प्रावधान	यदि किसी केन्द्र की सेविका पद के लिए उसी केन्द्र की सहायिका भी उम्मीदवार हो और यदि वह निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं आयु पात्रता को पुरा करती हो तो मेधा अंक के निर्धारण में 10 अतिरिक्त अंकों का बोनस अंक उन्हें देते हुये मेधा सूची का निर्माण किया जायेगा।
10	आम सभा- आंगनवाड़ी सेविका/ सहायिका के चयन के लिए प्रकाशित विज्ञापन में निर्धारित तिथि एवं स्थल पर आमसभा चयन समिति के अध्यक्ष की अध्यक्षता में की जायगी। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में आम सभा की जायगी। आम सभा में ही संबंधित महिला पर्यवेक्षिका के द्वारा मेधा सूची एवं पैनल तैयार कर एवं अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन कर सर्वोच्च मेधा अंक का प्रतिशत वाले अभ्यर्थी को चयनित कर नियुक्ति पत्र महिला पर्यवेक्षिका द्वारा मुहरित एवं हस्ताक्षरित कर स्थल पर ही निर्गत किया जायेगा जिसकी एक प्रति बाल विकास परियोजना कार्यालय में रक्षित की जायेगी। मेधा अंक का प्रतिशत समान होने पर अधिक उम्र के अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी। चयन हेतु तैयार पैनल की मान्यता चयन की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक के लिए रहेगी। विधवा को मेधा अंक का प्रतिशत में पांच (5) अंक जोड़ कर मेधा अंक की गणना की जायेगी। यदि बाहुल्य वर्ग से मैट्रिक उत्तीर्ण आँगनवाड़ी सेविका के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो क्रमानुसार अनुसूचित जाति-अनु0 जन जाति/अति पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक सहित)/पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक सहित)/सामान्य	आम सभा- आंगनवाड़ी सेविका/सहायिका के चयन के लिए प्रकाशित विज्ञापन में निर्धारित तिथि एवं स्थल पर आमसभा चयन समिति के अध्यक्ष की अध्यक्षता में की जायगी। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में आम सभा की जायगी। जिसकी विडियोग्राफी करायी जायेगी। सेविका/सहायिका के चयन हेतु आवेदन पत्र प्राप्ति के पश्चात एक सप्ताह के अंदर संबंधित महिला पर्यवेक्षिका एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से एक औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन जिले के बेवसाईट/बाल विकास परियोजना कार्यालय/प्रखंड कार्यालय के सूचना पट्ट पर एक सप्ताह के लिए किया जायेगा, तत्पश्चात आम सभा में यदि दावा/आपत्ति प्राप्त होती है तो आम सभा में ही उसका निराकरण किया जायेगा। आम सभा में चयन के क्रम में सर्वोच्च मेधा अंक का प्रतिशत वाले अभ्यर्थी को चयनित कर चयन पत्र महिला पर्यवेक्षिका द्वारा मुहरित एवं हस्ताक्षरित कर स्थल पर ही निर्गत किया जायेगा जिसकी एक प्रति बाल विकास परियोजना कार्यालय में रक्षित की जायेगी। मेधा अंक का प्रतिशत समान होने पर अधिक उम्र के अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी। चयन हेतु तैयार पैनल की मान्यता चयन की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक के लिए रहेगी। विधवा एवं दिव्यांग (जिसकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत होनी चाहिए) को मेधा अंक के प्रतिशत में पांच (5) अंक जोड़ कर मेधा अंक की गणना की जायेगी। यदि बाहुल्य वर्ग से मैट्रिक उत्तीर्ण आँगनवाड़ी सेविका के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो

	वर्ग (अल्पसंख्यक सहित) के उम्मीदवार को चयनित किया जायेगा। चयन के बैठक की कार्यवाही की मूल प्रति महिला पर्यवेक्षिका द्वारा संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय एवं एक प्रति संबंधित जिला प्रोग्राम पदाधिकारी कार्यालय में समर्पित किया जायेगा।	क्रमानुसार अनुसूचित जाति-अनु0 जन जाति/अति पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक सहित)/पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक सहित)/सामान्य वर्ग (अल्पसंख्यक सहित) के उम्मीदवार को चयनित किया जायेगा। चयन के बैठक की कार्यवाही की मूल प्रति महिला पर्यवेक्षिका द्वारा संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय एवं एक प्रति संबंधित जिला प्रोग्राम पदाधिकारी कार्यालय में समर्पित किया जायेगा।
11	प्रमाण पत्रों का सत्यापन एवं जाँच-मूल प्रमाण पत्रों के आधार पर आम सभा द्वारा चयनित आँगनवाड़ी सेविका/ सहायिका के प्रमाण पत्रों की जांच तत्पश्चात 60 दिनों के अन्दर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा कराया जायेगा, जिसके पश्चात ही आँगनवाड़ी सेविका/सहायिका को मानदेय का भुगतान होगा। यदि जांच के दौरान उनके मूल प्रमाण पत्र फर्जी या गलत पाए गए तो उन्हें चयनमुक्त करते हुए उनके विरूद्ध आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी जो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगी।	प्रमाण पत्रों का सत्यापन एवं जाँच-मूल प्रमाण पत्रों के आधार पर आम सभा द्वारा चयनित आँगनवाड़ी सेविका/ सहायिका के प्रमाण पत्रों की जांच चयन की तिथि से 60 दिनों के अन्दर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा कराया जायेगा। चयनित आँगनवाड़ी सेविका/सहायिका को प्रशिक्षण में भेजा जायेगा, परन्तु मानदेय का भुगतान प्रमाण पत्रों की जॉच/सत्यापन के पश्चात ही किया जायेगा। यदि 45 दिनों के अंदर संबंधित निर्गत प्राधिकार से प्रमाण पत्र सत्यापित नहीं होता है तो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी स्वयं जाकर अथवा अपने अधीनस्थ नियमित कर्मी को भेज कर सत्यापित करायेगी। मूल प्रमाण पत्र फर्जी या गलत पाये जाने की स्थिति में चयनमुक्त करते हुए उनके विरूद्ध आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेगें कि ऐसे मामलों का सत्यापन निर्धारित समय सीमा के अंदर अनिवार्य रूप से हो जाय। बिना प्रमाण पत्र सत्यापन के ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका को मानदेय का भुगतान नहीं किया जायेगा। प्रशिक्षण में भेजी गयी ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका को यदि बिना मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन के मानदेय का भुगतान किया जाता है तो उसकी पूरी जबावदेही संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की होगी।

उपरोक्त के अलावे अन्य कंडिकायें यथावत रहेगें।

उपरोक्त संशोधन/नये प्रावधान चयन हेतु विज्ञापित केन्द्रों को छोड़कर तत्काल प्रभाव से लागू होगें।

विश्वासभाजन

प्रधान सचिव,
समाज कल्याण विभाग

ज्ञापांक :- ICDS/40010/02-2016/2222 दिनांक : 25/05/2018

प्रतिलिपि :- सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/सभी महिला पर्यवेक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी वार्ड सदस्य/वार्ड पंच बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी अनुमंडल पदाधिकारी बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव,